न्यायालय चीफ सैटलमैंट कमीश्नर एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

धारा 340 का प्रार्थना पत्र संख्या 143/2023(GCMS 2023/351)

सुमित गोयल पुत्र श्री राम निवास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 5 एल 5 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **नीरज अग्रवाल** मुख्य प्रबन्धक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक), क्षेत्रीय कार्यलय मीरा चौक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार उपस्थित हुए। उन्हें क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.02.2015 को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉसर्म शाखा नगर परिषद, श्रीगंगानगर से अपनी फर्म मैसर्स सुमित एग्रो फूड, श्रीगंगानगर के नाम से एक करोड़ रूपये की सीसी लिमिट जारी करवाई थी।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.03.2016 को अपनी एक करोड़ रूपये की सीसी लिमिट को बढ़वाकर तीन करोड़ रूपये की जारी करवाई तथा प्रार्थी द्वारा दो करोड़ पैंतालिस लाख रूपये जमा करवाकर नई लिमिट मार्च 2017 में पच्चपन लाख रूपये की लिमिट जारी करवाई।

प्रार्थी की फर्म के विरूद्ध बैंक द्वारा एक करोड़ रूपये की लिमिट की वूसली के लिए एक प्रार्थना पत्र 49/2019 अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी अधिनियम का श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें नीरज अग्रवाल, मुख्य प्रबन्धक, ओबीसी बैंक द्वारा शपथ पत्र सत्यापित किया था। बैंक अधिकारी नीरज अग्रवाल यदि प्रार्थी की एक करोड़ रूपये की लिमिट पेटे 58,40,828 रूपये की रिकवरी मांग बैंक की ओर से कर रहा था तो उसे सरफेसी अधिनियम के वाद में प्रार्थी फर्म की लिमिट एक करोड से तीन करोड रूपये की लिमिट करवाने व बाद मे प्रार्थी द्वारा दो करोड पैतांलिस लाख रूपये अकाउंट में जमा करवाकर फिर पचपन लाख रूपये की लिमिट का हवाला देते तो तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, प्रार्थी फर्म की सद्भावी मंशा को देखकर सरफेसी एक्ट में वसूली आदेश पारित नहीं करते, परन्तु बैंक अधिकारियों ने प्रार्थी की फर्म के साख व व्यापार खत्म करने के लिये मिथ्या दस्तावेज व शपथ पत्र श्रीमान्जी के समक्ष पेश किये।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी की फर्म के **55.00/– लाख** रूपये की लिमिट एनपीए होने का नोटिस दिनांक 05.07.2017 को जरिये डाक प्रार्थी की फर्म को प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से बैंक को दिनांक 03.08.20217 को प्रेषित किया था, परन्तु अप्रार्थी नीरज अग्रवाल द्वारा 55.00/– लाख रूपये की लिमिट के एनपीए नोटिस दिनांक 05.07.2017 में मिथ्या बकाया राशि बताकर एक करोड़ रूपये की सीसी लिमिट का नोटिस बताकर न्यायालय को गुमराह करके न्यायालय से एक करोड़ रूपये की लिमिट एनपीए दिखाकर मिथ्या शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करके दिनांक 01.05.2019 को आदेश पारित करवा लिया।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.03.2022 को माननीय न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सी.आर.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रकरण संख्या 51/2022 दिनांक 09.05.2022 को निर्णित किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पुलिस में जाने के निर्देश दिये गये है।

प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 71/2023 दर्ज की गई, जिसमे बाद अनुसंधान अप्रार्थी नीरज अग्रवाल को माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 49/2019 अनवानी ओबीसी बनाम सुमित एग्रो फूड में मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत करने का दोषी माना। इस पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया, परन्तु आरोप के स्तर पर दिनांक 11.02.2026 को माननीय न्यायालय ने ये आदेश पारित करते हुए कि जिस न्यायालय में अप्रार्थी द्वारा मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, उस अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही करना न्यायोचित है। इसलिए अप्रार्थी के उक्त कृत्य के लिए कार्यवाही करने के लिए श्रीमानजी सक्षम है।

प्रार्थी की एक करोड़ रूपये की सीसी लिमिट कभी भी एनपीए नहीं हुई और ना ही एक करोड रूपये की लिमिट एनपीए होने का धारा 13(2) सरफेसी अधिनियम का नोटिस प्रार्थी को जारी किया गया, इसके बावजूद भी न्यायालय ने मिथ्या दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करके न्यायालय को गुमराह करके आदेश पारित करवाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त कृत्य धारा 340–195 सीआरपीसी के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व बैंक द्वारा प्रार्थी की बन्धक सम्पति का विक्रय करके विक्रय राशि प्रार्थी के ऋण खाते में जमा करवा दी गई थी। परन्तु अप्रार्थी द्वारा इस तथ्य को छिपाकर मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत करके पूरी बकाया राशि का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में पेश किया था, जबकि प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक को नोटिस में जो बकाया राशि दिखाई थी, वह प्रार्थी की तरफ नहीं निकलती थी।

अप्रार्थी नीरज अग्रवाल द्वारा माननीय ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 483 / 2017 अनवानी ओबीसी बैंक बनाम मै. सुमित एग्रो फूड में दिनांक 31.10.2018 को मिथ्य शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की तीन करोड़ की लिमिट एनपीए है, जबकि प्रार्थी की एक करोड़ रूपये की या तीन करोड़ की लिमिट एनपीए नहीं थी, ना ही अप्रार्थी द्वारा किसी भी न्यायालय में पच्चपन लाख रूपये की लिमिट के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये तथा 55 लाख रूपये की लिमिट का हवाला दिया गया। माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष बैंक अधिकारियों द्वारा कूट रचित बैंक स्टेटमैंट पेश की, जिसको लेकर पुलिस थाना सदर द्वारा रिपोर्ट माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की, जिसमें नीरज अग्रवाल, राजेन्द्र गोयल व अन्य बैंक अधिकारियों को धारा 467, 468, 471, 420, 120–बी, आईपीसी का दोषी मानकर रिपोर्ट पेश की।

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए धारा 13(2) के नोटिस में ऋण स्वीकृति राशि बताना आवश्यक है परन्तु अप्रार्थी ने मांग नोटिस में स्वीकृत राशि अंकित नहीं की तथा धारा 14 में बकाया राशि न्यायालय के समक्ष उल्लेखित करनी आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा जो बकाया राशि अंकित की गई है, वह गलत अंकित की गई है। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य पेश करने एवं एक करोड़ रूपये के फर्जी नोटिस न्यायालय में पेश कर न्यायालय को गुमराह करने तथा प्रार्थी की सम्पति दोष पूर्ण तरीके से हडप करने के सम्बन्ध में प्रसंज्ञान लिया जाकर कानूनी सजा फरमाई जावे।

मैनें, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 02.04.2019 को प्रस्तुत किया था, जिसमें इस न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 01.05.2019 को आदेश पारित कर प्रार्थी को अप्रार्थी ऋणी की अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाये जाने के आदेश दिये गये थे, जिसके विरूद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता ने 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 एक विशेष अधिनियम है, जिसमें किसी अन्य अधिनियम/नियम के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.05.2022 से खारिज कर दिया था। अब प्रार्थी ने पुनः 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है।**

उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने प्रकरण संख्या 16013/2022 अनवान् Balkrishna Rama Tarle Dead Thr LRS and Anr Versus Phonix ARC Private Limited & Ors. आदेश दिनांक 26.09.2022 पृष्ठ संख्या 16, 17 में निम्नानुसार अंकित किया है, जो अवलोकनीय है :

> the powers exercisable by CMM/DM under Section 14 of the SARFAESI Acr are ministerial step and Section 14 does not involve any adjudicatory process qua points raised by the borrowers against the secured creditor taking possession of the secured assets. .....

इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2022 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायायिक दृष्टातों के अनुसरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 इसी स्टेज पर अस्वीकार किया जाता है। कार्यवाही पूरी होने के बाद पत्रावली को व्यवस्थित करके अभिलेखागार में रखने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर